रेल दावा अधिकरण

पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/182/2023

पीठासीनः श्री शिव कुमार प्रसाद, माननीय सदस्य (तकनीकी), रे0दा0अ0, पटना

संस्थन की तिथिः 28.04.2023

निर्णय की तिथिः 26.08.2025

1. मनोज साव, उम्र लगभग 35 वर्ष (मृतका का पुत्र)
2. प्रमोद साव, उम्र लगभग 31 वर्ष (मृतका का पुत्र)
3. दीपक कुमार, उम्र लगभग 27 वर्ष (मृतका का पुत्र)

सभी निवासी ग्राम–बगलती (बघलती),
पोस्ट–मुसैला, थाना– मोहनपुर,
जिला–गया, बिहार, पिन–824232 .... वादी

बनाम

भारत संघ, द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर ....प्रतिवादी

दावा राशि ₹ 8,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः

वादी के विद्वान अधिवक्ता–श्री प्रमोद कुमार–उपस्थित

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता–श्री आलोक कुमार–उपस्थित

निर्णय

श्री शिव कुमार प्रसाद, सदस्य (तकनीकी):

1. याचीगण मनोज साव एवं अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत मीना देवी की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप

उनपर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 8,00,000/—एवं उस पर ब्याज की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार, मृतका मीना देवी अपने पति तुलसी साव एवं पुत्र दीपक कुमार के साथ आसनसोल से जयपुर का आरक्षित यात्रा टिकट पी0एन0आर0 नं0 6820597774 दिनांक 30.10.2021 कोच नं0 D-1, बर्थ नं0 31, 32, 33 के साथ ट्रेन नं0 02987 आसनसोल—जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा कर रही थी। यात्रा के क्रम में जब उक्त ट्रेन गया जं0 पहुंची तो मीना देवी शौचालय गयी एवं वहां से वापस आते समय यात्रियों की भीड़ एवं धक्का—मुक्की के कारण वह उक्त चलती ट्रेन से गया जं0 के प्लेटफार्म 01 पर गिर गई एवं दिनांक 30.10.2021 को घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतका के पति, तुलसी साव के आवेदन पर रेल थाना, गया में यु0डी0 काण्ड सं0 75/21 दिनांक 30.10.2021 दर्ज किया गया।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किया गया एवं याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि आवेदक द्वारा दायर किया गया दावा आवेदन (Claim application) पोषणीय (Maintainable) नहीं है और यह दावा आवेदन खारिज (Dismiss) किये जाने योग्य है। दावा आवेदन में आवेदक द्वारा जो भी कथित तथ्य प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतः सत्य से परे, मनगढंत भ्रामक, कूटरचित और अतार्किक तथ्यों पर आधारित है। मृतिका (मीना देवी) के पति तुलसी साब के बयान के आधार पर रेल थाना गया की पुलिस द्वारा यू०डी० कांड संख्या 75/21 दिनांक 30.10.2021 दर्ज की गयी। कथित घटना के संबंध में स्टेशन मास्टर, पूर्व मध्य रेल, गया के द्वारा दिनांक 30.10.2021 को समय 6:35 बजे एक मेमो जारी किया गया जिसमें बताया गया कि " गया स्टेशन लिमिट में एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 40 वर्ष के रन ओभर हो गयी है।" मेमो जारी होने के उपरांत पुलिस रेल, गया द्वारा घटनास्थल पर पहुँच कर मृत्यु समीक्षा प्रतिवदेन तैयार किया गया। मृतिका के पास गया स्टेशन से जारी कोई भी रेल टिकट बरामद नहीं हुआ जो कि साबित करता है कि मृतिका सद्भावी यात्री नहीं थी। यह कि दावा आवेदक द्वारा मृतिका के पति तुलसी साव को आवेदक न बनाकर प्रतिवादी संख्या-2 बनाना संदेह उत्पन्न करता है। दावा पत्र कॉलम II के पैरा-1 (b) से प्रतिवादी सहमत नहीं है। वहीं दावाकर्त्ता द्वारा जो कथित टिकट दावा आवेदन में लगाया गया है वह संदेहास्पद प्रतीत होती है जिसे

साबित करने, का भार आवेदक पर है। मृतिका रेलवे का सद्भावी यात्री नहीं थी। चलती रेलगाड़ी के समीप प्लेटफार्म से पटरी पर चला जाना एक संदेहास्पद घटना है। कथित घटना अनापेक्षित घटना की श्रेणी में नही आएगी क्योंकि यह जानते हुए कि आगे खतरा है और जानबुझ कर खतरा मोल लेना स्वयं को पहुँचायी गयी क्षति है और यह कथित घटना रेल अधिनियम की धारा 124 (a to e) के अंतर्गत आती है जिसमें रेल प्रशासन द्वारा कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए दिनांक 22.09.23 को निम्नलिखित वाद बिन्दु बनाये गये:–

(1) क्या मृतका प्रश्नगत रेलगाडी का सद्भावी यात्री थी?

(2) क्या मृतका की मृत्यु से संबंधित घटना रेल अधिनियम 1989 की धारा–123 (सी) (2) सपठित धारा 124–ए के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है?

(3) मृतका के आश्रित कौन–कौन हैं?

(4) आश्रितगण किस उपशम को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

5. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से स्टेशन मेमो (प्रदर्श–A/1), आवेदन (प्रदर्श–A/2), मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श–A/3), शव चालान (प्रदर्श–A/4), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श–A/5), फाइनल रिपोर्ट (प्रदर्श–A/6), आश्रित प्रमाण पत्र (प्रदर्श–A/7), आधार कार्ड (प्रदर्श–A/8), की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

6. याचीगण की ओर से मनोज साव का सशपथ मौखिक साक्ष्य ए.डब्लू–01 के रूप में एवं दीपक कुमार का सशपथ मौखिक साक्ष्य ए.डब्लू–02 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में वैधानिक डी आर एम रिपोर्ट की मूल प्रति (सामूहिक रूप से प्रदर्श–R/1) प्रस्तुत की गयी है। विपक्षी की ओर से अनिल

कुमार पाण्डेय को आर0डब्लू0 1 के रूप में एवं रामजी लाल बुनकर को आर0डब्लू0 2 के रूप में न्यायाधिकरण के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 01

9. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि मृतका मीना देवी अपने पति तुलसी साव एवं पुत्र दीपक कुमार के साथ आसनसोल से जयपुर का आरक्षित यात्रा टिकट पी0एन0आर0 नं0 6820597774 दिनांक 30.10.2021 कोच नं0 D-1, बर्थ नं0 31, 32, 33 के साथ ट्रेन नं0 02987 आसनसोल–जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा कर रही थी। यात्रा के क्रम में जब उक्त ट्रेन गया जं0 पहुंची तो मीना देवी शौचालय गयी एवं वहां से वापस आते समय यात्रियों की भीड़ एवं धक्का–मुक्की के कारण वह उक्त चलती ट्रेन से गया जं0 के प्लेटफार्म 01 पर गिर गई एवं दिनांक 30.10.2021 को घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृतका के पति, तुलसी साव के आवेदन पर रेल थाना, गया में यु0डी0 काण्ड सं0 75/21 दिनांक 30.10.2021 दर्ज किया गया।

10. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गयी कि प्रस्तुत मामले में मृतका का यात्रा टिकट आसनसोल से जयपुर का था, परन्तु वह गया जं0 पर ट्रेन नं0 02987 पर चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। चलती ट्रेन पर चढ़ने के प्रयास में वह गिर गयी एवं उसी ट्रेन से कटकर उसकी मृत्यु हो गयी। उसका यात्रा टिकट गया जं0 से बोर्डिंग के लिए वैध नहीं था। इस प्रकार घटना के समय वह एक सदभावी यात्री नहीं थी।

Bam

11. रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 (29) में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 2(29)–"यात्री किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति से अभिप्रेत है।"

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124A के स्पष्टीकरण के अनुसार– *"यात्री" के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं, अर्थात्:–*

(i) कर्तव्यारूढ़ रेल सेवक; और

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसने यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी द्वारा, किसी तारीख को, यात्रा करने के लिए कोई विधिमान्य टिकट या कोई विधिमान्य प्लेटफार्म टिकट क्रय किया है और वह व्यक्ति किसी अनपेक्षित घटना का शिकार हो जाता है।

12. रेल अधिनियम, 1989 की धारा *123 (c) "अनपेक्षित घटना" को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है–*

(1) ***यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाड़ी पर या उसके प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण अथवा टिकट घर या प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थल में की गयी कोई "अनपेक्षित घटना" (कष्टकारी घटना/Untoward incident) का तात्पर्य है–***

(i) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत कोई आतंकवादी कार्य करना, या

(ii) हिंसात्मक आक्रमण का प्रदर्शन या लूटपाट या डकैती करना, या

(iii) बलवा, गोली चलाकर मार देना या आगजनी की वारदात, अथवा

(2) यात्रियों को ले जाती हुई रेलगाड़ी से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिर जाना।

13. रेल के सद्भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.05.2018 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to oeld that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."

भारत संघ बनाम रीना देवी (सुप्रा) मामले में दिए गए उपरोक्त निर्णय के अनुसार, यह ध्यान देने योग्य है कि रेलवे परिसर में किसी बॉडी की उपस्थिति मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि घायल या मृतक वास्तविक यात्री था, जिसके लिए मुआवज़े का दावा किया जा सकता है। इसे प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुरूप देखा जाना चाहिए। प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ होती हैं। वादी को वास्तविक यात्री होने और अप्रिय घटना को स्वतंत्र रूप से साबित करना आवश्यक है।

अतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वे प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध करें और इसके लिए वे शपथपत्र के साथ वैध यात्री होने के सम्बन्ध में संगत साक्ष्य प्रस्तुत करें।

14. याचीगण की ओर से मृतका के पुत्र, मनोज साव को साक्षी ए0डब्लू0 1 के रूप में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। साक्षी मनोज साव, ए0डब्लू0 1 ने अपने शपथपत्र की पैरा 3 एवं 4 में यह कथन किया है कि-

"3. यह कि यह अपेक्षित घटना दिनांक 30.10.2021 की है मेरी माँ मृतिका मीणा देवी एवं मेरा भाई दीपक कुमार तथा पिताजी तुलसी साव आसनसोल से जयपुर स्टेशन तक का Reservation टिकट

जिसका पी० एन० आर० नं0 6820597774 है लेकर सियालदह अजमेर एक्सप्रेस (02987) अप के कोच संख्या डी-1 सीट संख्या 31,32,33 पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे।

4. यह कि जब उक्त ट्रेन गया जं० से खुली तो मेरी माँ चलती ट्रेन से गया जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 01 पर गिरकर कट गई थी जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी।"

15. दिनांक 05.06.2024 को अपने प्रतिपरीक्षण में मनोज साव, ए0डब्लू0 1 ने कथन किया है कि–

"प्रश्न- आपका गांव गया स्टेशन से कितना दूरी पर है ?

उत्तर- मेरा गांव गया स्टेशन से 40-45 कि. मी. की दूरी पर है।

प्रश्न-यह केस किसने किया है?

उत्तर-यह केस मेरे पिताजी ने किये हैं।

प्रश्न-आनंद कुमार कौन है?

उत्तर-आनंद कुमार मेरे चचेरे भाई हैं।

प्रश्न-आप अपने माता-पिता को स्टेशन पर छोड़ने आप आये थे?

उत्तर-मैं स्टेशन पर नहीं आया था, क्योंकि मेरा भाई दीपक कुमार ट्रेन में आसनसोल से बैठे थे।

प्रश्न-आपके माता-पिता आसनसोल क्यों गये थे?

उत्तर-मेरे मामा संजय साव के घर में पूजा थे, 3-4 दिन पहले से भाग लेने के लिये गये हुए थे।

प्रश्न- आपको घटना की सूचना किसने और कितने बजे दिया था?

उत्तर-मुझे घटना की सूचना मेरे भाई माता का सहयात्री दीपक कुमार ने प्रातः 7 बजे दी थी।

प्रश्न-सूचना पाकर आप कितने बजे और कितने देर में पहुंचे थे ?

उत्तर- नौ बजे पहुंचे थे करीब दो घंटा के बाद पहुंचे थे।

प्रश्न-जब आप गया स्टेशन पहुंचे तो आपकी माँ की शव आपने कहां देखा ?

उत्तर- रेल थाना के बगल में ठेला पर उनका शव था।

प्रश्न-आपके वहां पहुंचने के पहले से वहां पर कौन-कौन उपस्थित थे?

उत्तर- मेरा चचेरा भाई आनंद कुमार एवं एक रिश्तेदार गौतम कुमार के अतिरिक्त मेरे पिता तुलसी साव एवं मेरा भाई दीपक कुमार वहां पर उपस्थित थे।

प्रश्न-क्या मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट आपके सामने में बनी थी ?

उत्तर- जी नहीं, मेरे पहुंचने के पहले वह बन चुकी थी।

प्रश्न- माताजी के शरीर को देखे थे ? कहां-कहां पर चोट थी?

उत्तर- जहां तक मुझे याद है माताजी का शरीर बायें हाथ के नीचे से तीरछी तरह दाहिने प्रश्न कंधे के बगल तक दो भागों में विभक्त हो गया था।

प्रश्न- आपके माता-पिता एवं भाई मामाजी के यहां से कहां जा रहे थे ?

उत्तर- वे सब जयपुर जा रहे थे।

प्रश्न- कथित घटना का केस दर्ज करने के लिए जी आर पी थाना में किसने दिया था?

उत्तर-पापा दिये थे।

प्रश्न-घटना होते हुए आप देखे थे ?

उत्तर- नहीं, घटना के समय मैं घर पर था।

प्रश्न- क्या आपका बयान आर पी एफ द्वारा लिया गया था?

उत्तर- जी हां।

गवाह ने स्वयं कहा कि उसे उक्त बयान पढ़ करके नहीं सुनाया गया था। गवाह को उसके द्वारा आर पी एफ को दिया गया बयान का दिखाया गया। गवाह ने उसमें लिखे तथ्यों को स्वीकारा तथा अपने हस्ताक्षर भी पहचाने। प्रतिवादी अधिवक्ता ने गवाह द्वारा आर पी एफ को दिये गये बयान को अलग से प्रदर्श चिन्हित करने के लिए आग्रह किया जिसे स्वीकार किया गया।

प्रश्न- आर पी एफ के समक्ष दिये गये बयान के अतिरिक्त कही और बयान दिया है ?

उत्तर- नहीं, सीधे न्यायालय में बयान दे रहा हूं।

प्रश्न- आपके माताजी के आश्रित में कौन-कौन लोग है?

उत्तर- मेरे परिवार में मेरे पिता के अतिरिक्त हम तीन भाई क्रमशः मनोज साव, प्रमोद साव तथा दीपक कुमार हैं।

प्रश्न- आपने जितनी भी बातें यहां पर कही हैं वह झूठ हैं तथा आप गलत मुआवजा लेने के लिए यहां पर मिथ्या गवाही दे रही हैं। आपकी माताजी कोई यात्रा नहीं कर रहे थे, आपकी माताजी ट्रेन पर चढ़ने के दौरान गिरी है जिससे उनकी मृत्यु हुई है, जो स्वयं को जानबूझकर क्षति पहुंचाने के श्रेणी में आता है। बोलिये क्या यह सच है?

उत्तर- जी नहीं, वह सच नहीं है।

16. याचीगण की ओर से मृतका के पुत्र, दीपक कुमार को साक्षी ए0डब्लू0 2 के रूप में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उसने दिनांक 22.05.2025 को अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि–

*मेरा गांव बघलती गया रेलवे स्टेशन से करीब 40 कि. मी. दूर है, वहां से गया आने के लिए सड़क मार्ग व बस का रास्ता है। मेरे गांव से गया रेलवे स्टेशन पहुंचने में करीब 2 घंटा का समय लगता है। घटना सुबह करीब साढ़े 6 बजे गया स्टे न पर प्लेटफार्म नं. 1 पर घटी थी। **मम्मी शौच करने के लिए गयी थी बोली थी कि बाहर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आयेगें, हमलोग आसनसोल से आ रहे थे। मम्मी ट्रेन के शौचालय में गयी थी कि प्लेटफार्म के शौचालय में गयी थी यह मैं नहीं देखा था।** आसनसोल हमलोग 28.10.2021 को गये थे। आसनसोल में मामाजी का गृह प्रवेश था। आसनसोल में मामाजी के घर का पता मैं नहीं बता सकता हूं। मम्मी के साथ मैं और पिताजी यात्रा कर रहे थे। **सुबह का समय था मैं अपने सीट पर बैठा था, हल्ला होने पर बाहर निकले, साड़ी से अपने मम्मी को पहचान किया। मेरी मम्मी का गर्दन कटा हुआ था।** हमलोग जयपुर में ही काम करते थे। जयपुर में मैं और पिताजी रहते थे उसका सबूत मैं बहस के समय दाखिल कर सकता हूं। घटना 30.10.2021 को घटी थी। आनंद कुमार मेरा चचेरा भाई है।*

घटना घटने के आधा घंटा के बाद पंचनामा बनाया था और हमसे जी आर पी ने दस्तखत कराया था। मेरा भाई आनंद गया में रहकर पढ़ाई करता है। घटनास्थल पर मेरा भाई मनोज और गांव के दो–चार लोग आये थे। हमलोगों का टिकट आसनसोल से जयपुर तक का था। टिकट गांव वाले भाई से ऑन लाइन कटवाये थे। मैं अपने पिताजी को दावा राशि में प्रतिवादी इसलिए बनाया कि उनका बैंक अकाउंट नहीं था। गया जिला में बैंक अकाउंट नहीं था लेकिन जयपुर में उनका बैंक अकाउंट है।

यह कहना गलत है कि आज मैं जो भी बात कह रहा हूं वह गलत है। यह कहना गलत है कि मेरी माँ चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी उसी में वे रन ओवर हो गयी । यह कहना गलत है कि मैं मुआवजा के वास्ते झूठी गवाही दे रहा हूं।

कोर्ट प्रश्नः

मैं, मेरे पिता तुलसी साह एवं मेरी माँ रीना देवी आसनसोल से जयपुर सियालदह अजमेर ट्रेन से जा रहे थे। हम तीनों यात्री उक्त ट्रेन में आसनसोल से ही चढ़े थे। ऐसा नहीं है कि हम तीनों लोग उक्त गाड़ी में गया से चढ़ा हो। हम तीनों का टिकट आरक्षित श्रेणी का था कोच D1 था। तीनों यात्रियों का एक ही टिकट था जो मृतका माँ के पास से बरामद हुआ था। मेरी माँ का शव प्लेटफार्म संख्या 1 के नीचे तथा रेल की पटरी पर पड़ा था।

17. अनिल कुमार पाण्डेय, तत्कालीन ट्रेन गार्ड को विपक्षी की ओर से आर0डब्लू0 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। उसने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि–

दिनांक 30.10.2021 को मेरी ड्यूटी 02987 अप पर लगी हुई थी। मेरी गाड़ी गया से 6:34 बजे खुली थी, उस दिन वह गाड़ी समय से चल रही थी। ***मेरे बोगी से 3–4 बोगी आगे महिला मेरी गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। जब महिला***

मेरी गाड़ी में चढ़ने के लिए दौड़कर आ रही थी तो मैंने करीब 5–6 मीटर आगे से देखा था। मैंने यह भी देखा था कि उस महिला के साथ एक आदमी भी था। जैसे ही उस महिला ने हमारी ट्रेन के हैन्डल को पकड़ा तभी मैंने एकदम गाड़ी रोकने के लिए अपने ब्रेक भान से प्रेसर गिराया। जबतक हमारी गाड़ी रुकी तबतक वह महिला प्लेटफार्म तथा हमारी ट्रेन के बीच में गिरकर कट गयी थी। मैंने नीचे जाकर देखा कि महिला कट गयी थी। इस घटना की सूचना मैंने उसी समय वॉकी–टॉकी से गया स्टेशन मास्टर को दे दी थी। जब वह महिला चढ़ने का प्रयास कर रही थी तो उसी स्टेशन से खुलने के कारण उसकी रफ़तार 10–15 कि.मी की रही होगी।

यह कहना गलत है कि मैंने दौड़ती हुए महिला को देखते हुए भी वह चढ़ने का प्रयास कर रही थी फिर भी गाड़ी रोकने का कोई प्रयास न किया हो। यह कहना गलत है कि मैं सरकारी मुलाजिम होने के कारण रेलवे के पक्ष में झुठी गवाही देने के लिए आया हूं।

18. रामजी लाल बुनकर, सब इंस्पेक्टर को विपक्षी की ओर से आर0डब्लू0 2 के रूप में परीक्षित कराया गया है। उसने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि–

दिनांक 30.10.2021 को मेरी ड्यूटी गया स्टेशन नाइट ड्यूटी ऑफिसर के रूप में रात्री के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक थी। पूरे स्टेशन पर गाड़ियों के आवागमन हेतु लगी थी। गाड़ी संख्या 02987 अप गया प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर सुबह करीब साढ़े 6 बजे के आसपास आयी थी। घटना के समय मेरी ड्यूटी प्लेटफार्म सं. 1 पर स्टेशन के मध्य में खड़ा था तभी गाड़ी अचानक एसीपी होकर रुकी तथा गाड़ी के पीछे गार्ड के तरफ से यात्रियों का शोर भी हुआ तथा मैंने भी देखा कि एक महिला को एक लड़का उस महिला को गाड़ी में चढ़ाने का प्रयास कर रहा था। एक आदमी उस महिला के साथ और भी था जो उसका पति था। वह महिला प्लेटफार्म और गाड़ी के बीच में गिर गयी तथा महिला की गर्दन गाड़ी के पहिया से कट गयी।

Baon

प्रश्नः जब उक्त गाड़ी एसीपी होकर रुकी उसी समय हल्ला हुआ कि एक महिला गाड़ी से गिरकर कट गयी है, तब आप घटनास्थल पर गये या आपने पहले ही उस महिला को घटना होते हुए देखा था?

उत्तरः जब गाड़ी में एसीपी और हल्ला हुआ तो हल्ला होने पर मेरी नजर उस ओर गयी तब मैंने वहां करीब 150–200 मीटर की दूरी से दौड़कर वहां गया।

प्रश्नः क्या प्लेटफार्म पर यात्रियों की अधिक भीड़ थी या नही थी?

उत्तरः सामान्य भीड़ थी।

प्रश्नः मेरा कहना है कि गया स्टेशन पर गाडी रुकने के बाद मृतका मीना देवी अपने परिवार के साथ खाने–पीने की वस्तु लेने के लिए नीचे उतरी थी और जैसे ही वह वापस लौट रही थी कि गाड़ी खुल गयी और चढ़ने के कम में मीना देवी गाड़ी से नीचे गिर गयी, इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तरः **जब वहां पर घटना हो गयी तो महिला के साथ वहां पर उपस्थित उसके परिजन पुत्र दीपक और पति तुलसी साव के द्वारा बताया गया था कि आसनसोल से रिजर्वेशन टिकट जो कोच नं. डी.1 में था उस समय कोरोना काल भी था। तुलसी साव ने बताया कि हमें गया से गाड़ी पकड़नी थी।**

प्रश्नः आप अपने रोजनामचा में इस बात का जिक किये हैं कि गया से बोडिंग कर रहे थे जबकि बोडिंग गया में नहीं थी यह बात आपको किसने बताया, और न ही आपने इस बयान का जिक किये हैं?

उत्तरः **यह बात सही है कि मैंने थाने के रोजनामचा तथा अपने बयान में इस बात का उल्लेख नहीं कर पाया हूं कि उक्त महिला व उसके परिजन गया से चढ़ रहे थे यह बात उसने किसने बतायी थी, स्वयं कहा कि यात्रियों ने बताया था।**

यह कहना गलत है कि मैंने उस महिला को बचाने का प्रयास न किया हो परन्तु मेरी दूरी थी इसीलिए मैं नहीं बचा पाया। यह कहना गलत है कि आवेदक को पैसा न मिल जाये इसलिए मैं झूठी गवाही देने के लिए आया हूं।

19. विपक्षी द्वारा प्रस्तुत डी0आर0एम0 रिपोर्ट के साथ आर0पी0एफ0 जांच रिपोर्ट में रामजी लाल बुनकर, स0उ0नि0/रे0सु0ब0 पोस्ट/गया का बयान संलग्न है जिसमें उसने यह कथन किया है कि–

"पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि मृत महिला मिना देवी, उनके पति तुलसी साव तथा उनके पुत्र दिपक कुमार का PNR No. 6820597774 जो आसनसोल से जयपुर की टिकट थी कोच सं0 D-1 में सिट सं0 31, 32, 33 था। ***उपरोक्त टिकट आसनसोल से था, गया से बोर्डिंग कर रहे थे जबकि बोर्डिंग गया से नहीं था। अन्य यात्रियों द्वारा भी बताया गया कि ये तीनों लोग गया में ही चढ़ रहे थे।*** *यही मेरा बयान है।"*

20. आर0पी0एफ0/गया के रोजनामचा के अनुसार–

"....उक्त महिला मीना देवी उम्र 54 वर्ष को इनका पुत्र दीपक साव चलती गाड़ी में चढ़ाने का प्रयास कर रहा था कि महिला लाइन में गिर कर गाड़ी सं0 02987 से कट गई। ***....इनका PNR No. 6820597774 आसनसोल से जयपुर की टिकट कोच नं0 D-1 में 31, 32, 33 बताये, उपरोक्त का टिकट ASN से था गया से बोर्डिंग कर रहे थे जबकि बोर्डिंग गया में नहीं था। ....."***

21. प्रतिवादी साक्षी आर0डब्लू0 1, अनिल कुमार पाण्डेय (ऑन ड्यूटी ट्रेन गार्ड) एवं आर0 डब्लू0 2 रामजी लाल बुनकर (ऑन ड्यूटी सब–इंस्पेक्टर/आर0पी0एफ0/गया) के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि आर0डब्लू0 1 घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जबकि आर0 डब्लू0 2 परिस्थितिजन्य साक्षी है। आर0डब्लू0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि– *"....मेरी बोगी से 3–4 बोगी आगे महिला मेरी गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। .....मैंने यह भी देखा था कि उस महिला के साथ एक आदमी भी था।" आर0डब्लू0 2 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि–" ...एक महिला को एक लड़का गाड़ी में चढ़ाने का प्रयास कर रहा था।"*

इससे स्पष्ट होता है कि मृतका गया जं0 में उक्त ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी।

आर0पी0एफ0 की जांच में आनन्द कुमार, (मृतका का रिश्तेदार) याची मनोज साव का चचेरा भाई ने अपने बयान में कहा है कि– "*दिनांक 30.10.2023 को समय लगभग 7.00 बजे मेरे चचेरे भाई दिपक कुमार के द्वारा मोबाइल के माध्यम से मुझे सूचना मिला कि मेरी चाची मिना देवी गया रेलवे स्टेशन पर **PF No. 1** पर गाड़ी सं0 02987 में चढ़ने के दौरान गिरकर ट्रैक पर चली गई और कट गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई।*" मृतक के पुत्र, मनोज साव ने भी आर0पी0एफ0 को दिए बयान में इस तथ्य की पुष्टि की है। आर0पी0एफ0 को दिए बयान मे मनोज साव ने कथन किया है कि–"*दिनांक 30.10.2023 को समय लगभग 7.00 बजे मेरे भाई दिपक कुमार के द्वारा मोबाइल के माध्यम से मुझे सूचना मिला कि माताजी मिना देवी गया रेलवे स्टेशन पर **PF No. 1** पर गाड़ी सं0 02987 में चढ़ने के दौरान गिरकर ट्रैक पर चली गई और कट गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई।*"

इस प्रकार आनन्द कुमार एवं मनोज साव द्वारा आर0पी0एफ0 को दिये बयान से यह स्पष्ट है कि मृतका गया जं0 पर ट्रेन नं0 02987 पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, जहां से चढ़ने के लिए उसका टिकट वैध नहीं था।

अनिल कुमार पाण्डेय एवं रामजी लाल बुनकर के बयान की पुष्टि भी आनन्द कुमार एवं मनोज साव के बयान से हो जाती है।

22. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन में रामजी लाल बुनकर, सब इंस्पेक्टर/आर0पी0एफ0/गया का मौखिक साक्ष्य, आर0पी0एफ0 जांच में रामजी लाल बुनकर का बयान एवं आर0पी0एफ0/गया के रोजनामचा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतका, उसके पति एवं उसके पुत्र का आरक्षित टिकट ट्रेन नं0 02987 में आसनसोल से जयपुर के लिए था, जिसमें नियमानुसार उनलोगों को आसनसोल से बोर्डिंग करना था परन्तु वे लोग आसनसोल में बोर्डिंग नहीं किये थे एवं गया जं0 में चलती ट्रेन में बोर्डिंग करने का प्रयास कर रहे थे। चूंकि उनलोगों का आरक्षित टिकट आसनसोल में ही बोर्डिंग करने

के लिए वैध था एवं वे लोग आसनसोल में बोर्डिंग नहीं किये जिससे उनका टिकट वैध नहीं रहा। इस प्रकार मृतका घटना के समय वैध यात्री नहीं थी।

23. मृतका के पास घटना के समय वैध यात्रा टिकट था, इस तथ्य को साबित करने का प्रथमदृष्टया भार याचीगण पर था। परन्तु याचीगण की ओर से कोई ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य अथवा साक्षी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि मृतका घटना के समय सदभावी यात्री थी। इस प्रकार याचीगण ने प्रथमदृष्टया अपने सबूत के भार को डिस्चार्ज नहीं किया है। इसके विपरीत विपक्षी रेलवे ने रामजी लाल बुनकर, आर0डब्लू0 2 के साक्ष्य से यह सिद्ध किया है कि मृतका घटना के समय सदभावी यात्री नहीं थी। अतः मृतका का सदभावी यात्री होना सिद्ध नहीं होता है।

24. यह निर्विवाद है कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124–ए का उद्देश्य किसी अप्रिय घटना में घायल यात्री या मृतक के आश्रित को शीघ्र राहत प्रदान करना है। यद्यपि अधिनियम में मुआवजे के भुगतान से संबंधित प्रावधान को एक लाभकारी कानून का अंश कहा जा सकता है, परन्तु इसे किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता जो साफ हाथों से नहीं आया हो। निश्चित रूप से यह प्रावधान घायल व्यक्ति या मृतक के आश्रितों के लिए लाभकारी कानून के रूप में अधिनियमित किया गया है जो कानून का पालन करने वाला नागरिक है। यह न्यायाधिकरण उन घायलों या मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124–ए के तहत लाभ के हकदार हैं। इसके साथ ही, गलत दावों से सरकारी खजाने की सुरक्षा करना भी न्यायाधिकरण का कर्तव्य है।

25. डी आर एम रिपोर्ट के निष्कर्ष में यह उल्लेख है कि–

.... सारे तथ्यों, परिस्थितियों एंव अभी तक के जाँच के कम में संबंधित गवाहों के बयान व संबंधित अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित पाया गया कि मृतक मीना देवी की मृत्यु गाडी सं० 02987 को गया स्टेशन से खुलने के क्रम में चलती हालत में चढने के कारण ट्रैक पर गिर कर कट जाने के कारण होना पाया गया है तथा अभीतक के जाँच में उक्त महिला की मृत्यु में रेलवे की कोई जबावदेही स्थापित नही पाया गया है।

Basm

26. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि–व्यवस्था के आलोक में यह तथ्य साबित नहीं होता है कि मृतका किसी ट्रेन का सदभावी यात्री थी। अतः वाद बिन्दु संख्या 01 नकारात्मक रूप से याचीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 02, 03 एवं 04

27. वाद बिन्दु 01 की विवेचना में यह साबित हो चुका है कि मृतका घटना के समय प्रश्नगत ट्रेन का सदभावी यात्री नहीं थी। अतः वाद बिन्दु 02, 03 एवं 04 पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।

आदेश

28. याचीगण मनोज साव एवं अन्य की याचिका खारिज की जाती है। उभय पक्षकार अपना अपना वाद–व्यय वहन करेंगे।

29. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय। उभयपक्ष को निर्णय की प्रति स्पीड पोस्ट से भेजी जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाय।

26/08/2025

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 26.08.2025

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

26/08/2025

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 26.08.2025